उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-102/2018/2119/71-2-2018-सीएमयू-46/2012
लखनऊ : दिनांक 21 जून, 2018

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-92/2018/1982/71-2-18-सीएमयू-46/2012, दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से के0जी0एम0यू0 परिसर में छूटे हुए विभाग एवं भवनों में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु रू0 40,13,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के विषय में अंकित "के0जी0एम0यू0 में आम्रपाली योजना, हरदोई रोड में आवासीय भवनों" के स्थान पर **"के0जी0एम0यू0 परिसर में छूटे हुए विभाग एवं भवनों में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति" पढा एवं समझा जाय।**

3- उक्त शासनादेश दिनांक 05 जून, 2018 के विषय को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

जयन्त नार्लिकर
विशेष सचिव।

संख्या- 102/2018/2119(1)/71-2-18-तद्दिनांक

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।